BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 नवम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 02 आरोपियों को 04 वर्ष का कारावास व 7300-7300 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त छोटे पुत्र भगवत सिंह व आकाश पुत्र छोटे निवासी ग्राम रजपुरा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपने गांव निवासी एक युवक के साथ गाली गलौच कर लाठी डंडों से मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.06.2020 को थाना सलेमपुर पर मुअसं–113/20 धारा 232,308,504,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.08.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.11.2024 को न्यायाधीश श्री गोपाल (मा0 न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छोटे व आकाश को 04 वर्ष का कारावास व 7300-7300 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।